[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, dated 21st February, 2019

G.S.R.(E)._ In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 12 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from **25th February, 2019**

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 25, the following shall be inserted, namely:-

"25A. Active Company Tagging Identities and Verification (ACTIVE).-(1) Every company incorporated on or before the 31st December, 2017 shall file the particulars of the company and its registered office, in e-Form ACTIVE (Active Company Tagging Identities and Verification) **on or before 25.04.2019.**

Provided that any company which has not filed its due financial statements under section 137 or due annual returns under section 92 or both with the Registrar shall be restricted from filing e-Form-ACTIVE, unless such company is under management dispute and the Registrar has recorded the same on the register:

Provided further that companies which have been struck off or are under process of striking off or under liquidation or amalgamated or dissolved, as recorded in the register, shall not be required to file e-Form ACTIVE:

Provided also that in case a company does not intimate the said particulars, the Company shall be marked as "ACTIVE-non-compliant" on or after 26th April, 2019 and shall be liable for action under sub-section (9) of section 12 of the Act:

Provided also that no request for recording the following event based information or changes shall be accepted by the Registrar from such companies marked as "ACTIVE-non-compliant", unless " e-Form ACTIVE" is filed -

(i) SH-07 (Change in Authorized Capital);
(ii) PAS-03 (Change in Paid-up Capital);
(iii) DIR-12 (Changes in Director except cessation);
(iv) INC-22 (Change in Registered Office);
(v) INC-28 (Amalgamation, de-merger)

(2) Where a company files "e-Form ACTIVE", **on or after 26th April, 2019**, the company shall be marked as "ACTIVE Compliant", on payment of fee of ten thousand rupees".

3. in the said Rules, after Form INC-22, the e-form ACTIVE (INC-22A) shall be inserted, namely:-

"FORM NO. INC-22A
[Rule 25A of The Companies (Incorporation) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

ACTIVE (Active Company Tagging Identities and Verification)

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *(a)Corporate Identity Number (CIN) of the company [ ] Prefill

* (b) Name of the Company [ ]

*(c) Address of registered office(Photo of the Registered Office also showing therein atleast one Director(s)/KMP who has affixed his/her Digital Signature to this form is mandatory)

Latitude	Longitude

(d) *email ID of the company [ ] Send OTP

(e) *Enter OTP for email ID of the company [ ] Verify OTP

(f) *Whether the company is listed o Yes o No

2. *(a) Number of Directors [ ] Prefill

(b) The Maximum Number of Directors are beyond limits prescribed in Companies Act, 2013 based on resolution dated [ ] RN of Form No. MGT-14 [ ]

*(c) List of Directors as on date of filing.

Sr. No.	DIN	Name of Director	Status of DIN

(Before filing Active Company Tagging Identities and Verification (ACTIVE)eform, please ensure that the DINs of all Directors are in 'approved' status and are neither 'De-activated due to non-filing of DIR-3 KYC' nor 'Disqualified u/s 164(2)')

3. *Details of statutory auditor(s).

*Number of auditor(s) appointed

I. *Category of Auditor   o Individual   o Auditor's Firm

*Income Tax permanent account number of auditor or auditor's firm

*Name of the auditor or auditor's firm

*Membership Number of auditor or auditor's firm's registration number

*Period of account for which appointed   From

4. Whether the company is required to appoint Cost Auditor   o Yes   o No   Prefill

Number of cost auditor(s)

I. Category of Auditor   o Individual   o Partnership firm   o Limited liability partnership

Membership number of the Cost Auditor/ member representing the Cost Auditor's Firm/LLP

Name of the cost auditor or member representing the firm/LLP

Firm Registration Number(FRN) of the Cost Auditor/Cost Auditor's firm/LLP

Name of the Cost auditor's firm/LLP

Financial year to be covered by the cost auditor(s)   From

5. Details of the Managing director or Chief Executive Officer (CEO) or Manager or Whole-time Director of the company

Number of roles

DIN/PAN

Name

Designation

Whether the company has Managing Director or CEO   o Yes   o No

6. Details of Company Secretary of the company, if applicable.

PAN

Name

Membership Number

7. Details of the Chief Financial Officer (CFO) of the company, if applicable.

PAN

Name

8. *Details of forms AOC-4/AOC-4 XBRL and MGT-7 filed for FY 2017-18

*SRN of AOC-4/ AOC-4 XBRL

*SRN of MGT-7

Attachments

List of attachments

1. *Photograph of Registered Office showing external building and inside office also showing therein atleast one director/KMP who has affixed his/her Digital Signature to this form.

Attach

2. Optional Attachment(s), if any

Attach

Remove attachment

Declaration

I hereby declare that the registered Office is situated in the address mentioned above, the details of directors, KMP, auditors are presently associated with the company are correct.

Verification

I, hereby confirm and verify that the particulars given in the Form herein above are true and also are in agreement with the documents maintained by the company.

To be digitally signed by one director in case of OPC.

To be digitally signed by one director and one KMP or two directors in case of other than OPC

*Designation

DSC BOX

*DIN

DSC BOX

*Designation

* DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary

Certification

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification/verification of this form. It is hereby certified that:

* I have satisfied myself about the identity of the company and its address based on the perusal of the original of the attached document.

* All required attachments have been completely attached to this application

* I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

*I further certify that:

- *email ID belong to the Company.
- * All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
- *I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for further reference.
- *It is understood that I shall be liable for action under section 448 of The Companies Act, 2013 for wrong certifications, if any found at any stage.

*To be digitally signed by — **DSC Box**

*Category

*Whether Associate or Fellow ○ Associate ○ Fellow

*Membership Number

*Certificate of Practice Number

Note: Attention is drawn to the provisions of sections 7(5) and 7(6) which, *inter-alia*, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This e-Form has been taken on file maintained by the register of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional"

[F. No. 1/13/2013 CL-V, part-I, Vol.II]

21/2/19

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R.1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R. 955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R.284 (E)	23-03-2018
12.	G.S.R. 708 (E)	27-07-2018
13.	G.S.R. 1219 (E)	18-12-2018

****

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

सा.का.नि.______ (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 12 की उप-धारा (9) और 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम तारीख **25 फरवरी, 2019** को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 25 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.-

"**25क. पहचान और सत्यापन करने वाली सक्रिय कंपनी (एक्टिव).-** (1) 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पूर्व निगमित प्रत्येक कंपनी द्वारा **25.04.2019** को या उससे पूर्व ई-प्ररूप-एक्टिव [पहचान और सत्यापन करने वाली सक्रिय कंपनी] में कंपनी और इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के सत्यापन हेतु विशिष्टियां फाइल की जाएंगी।

परंतु यह कि ऐसी कोई कंपनी जिसने रजिस्ट्रार के समक्ष धारा 137 के तहत अपनी बकाया वित्तीय विवरणियां या धारा 92 के तहत बकाया वार्षिक विवरणियां, या दोनों फाइल नहीं की हैं, ऐसी कंपनी को प्रबंधन विवाद के अधीन होने और रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में इस विषय को रिकॉर्ड न करने की स्थिति में ई-प्ररूप-एक्टिव फाइल करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

परंतु यह और कि, यदि रजिस्टर के रिकॉर्ड के अनुसार नाम काटे गए या नाम काटे जाने की प्रक्रियाधीन स्थिति में या समापनाधीन या समामेलित या विघटित कंपनियों के लिए ई-प्ररूप एक्टिव फाइल करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा:

परंतु यह भी कि, यदि कोई कंपनी यथा-उल्लिखित अपनी विशिष्टियों को सूचित नहीं करती है तो **26 अप्रैल, 2019** को या उसके पश्चात् उस कंपनी को **"एक्टिव गैर-**

अनुपालक" के रूप में चिह्नित किया जाएगा, और वह अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी:

'परंतु यह भी कि, निम्नलिखित घटना आधारित सूचना या परिवर्तनों को अभिलिखित करने के लिए किसी अनुरोध को रजिस्ट्रार द्वारा **"एक्टिव-गैर-अनुपालक"** के रूप में चिह्नित ऐसी कंपनियों से स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि "ई-प्ररूप एक्टिव" फाइल नहीं कर दिया जाता है -

(i) एसएच-07 (प्राधिकृत पूंजी में परिवर्तन);
(ii) पीएएस-03 (चूक प्रदत्त पूंजी में परिवर्तन);
(iii) डीआईआर-12 (समापन को छोड़कर निदेशक में परिवर्तन);
(iv) आईएनसी-22 (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन);
(v) आईएनसी-28 (समामेलन, विलयन समाप्त)।

(2) यदि कोई कंपनी **26 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात्** "ई-प्ररूप-एक्टिव" फाइल करती है, तो उस कंपनी को दस हजार रुपये के शुल्क के भुगतान पर **"सक्रिय अनुपालक"** में चिन्हित किया जाएगा।

3. उक्त नियम में, प्ररूप आईएनसी-22 के पश्चात्, ई-प्ररूप एक्टिव (आईएनसी-22क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप संख्या. आईएनसी-22क [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25क के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	**एक्टिव (पहचान और सत्यापन करने वाली सक्रिय कंपनी)**

प्ररूप की भाषा **0अंग्रेजी** **0हिंदी**

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें।

1. *(क)कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) .... **<u>पूर्व पूरित</u>**

*(ख) कंपनी का नाम ....

*(ग) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता **(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की फोटो और साथ ही कम से कम एक निदेशक(कों)/केएमपी जिसने इस प्ररूप में अपने डिजीटल हस्ताक्षर मुद्रित किए हैं, अनिवार्य है)**

....

अक्षांश	देशांतर
भरा जाए	**भरा जाए**

(घ) *कंपनी का ई-मेल पता .... **ओटीपी भेजें**

(ड.) *कंपनी की ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी भरे .... **ओटीपी सत्यापित करें**

(च) *क्या कंपनी सूचीबद्ध है 0हां 0नहीं

2. *(क) निदेशकों की संख्या ....

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा प्रस्ताव में विहित सीमा के परे निदेशकों की अधिकतम संख्या .... तारीख .... प्ररूप एमजीटी-14 के एसआरएन द्वारा फाइल

*(ग) फाइल किए जाने की तारीख को निदेशकों की सूची

क्र.सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	डीआईएन की प्रास्थिति

(कंपनी का पहचान और सत्यापन करने वाली सक्रिय कंपनी (एक्टिव) ई-प्ररूप फाइल करने से पूर्व, कृपया सुनिश्चित कर लें कि सभी निदेशकों का डीआईएन 'अनुमोदित' प्रास्थिति में है और न तो डीआईआर-3 केवाईसी फाइल न करने के कारण असक्रिय हुआ है और न ही 'धारा 164(2) के तहत निरर्हित' है।)

3. *कानूनी लेखापरीक्षक(कों) का ब्यौरा

*नियुक्त लेखापरीक्षक(कों) की संख्या ....

I. *लेखापरीक्षक का वर्ग o व्यक्तिगत o लेखापरीक्षक फर्म

*लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म की स्थायी आयकर खाता संख्या ....

*लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का नाम ....

*लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षक की फर्म की रजिस्ट्रेशन संख्या ....

*नियुक्ति के लिए खाते की अवधि .... से .... तक

4. क्या कंपनी के लिए लागत परीक्षक को नियुक्त करने की अपेक्षा है o हां o नहीं

लागत लेखापरीक्षक(कों) की संख्या .... पूर्व पूरित

I. लेखापरीक्षक का वर्ग o व्यक्तिगत o भागीदार फर्म o सीमित देयता भागीदारी

लागत लेखापरीक्षक/लागत लेखापरीक्षक फर्म/एलएलपी का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य की सदस्यता संख्या ....

लागत लेखापरीक्षक या फर्म/एलएलपी का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य का नाम ....

लागत लेखापरीक्षक/लागत लेखापरीक्षक फर्म/एलएलपी की फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन) ....

लागत लेखापरीक्षक की फर्म/एलएलपी का नाम ....

लागत लेखापरीक्षक(कों) द्वारा समावेशित किए जाने वाला वित्तीय वर्ष .... से ....तक

5. कंपनी के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक का ब्यौरा

कार्यों की संख्या ....

डीआईएन/पैन ....

नाम ....

पदनाम ....

क्या कंपनी का प्रबंध निदेशक या सीईओ है O हां O नहीं

6. कंपनी के कंपनी सचिव का ब्यौरा, यदि लागू है तो

पैन ....

नाम ....

सदस्यता संख्या ....

7. कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का ब्यौरा, यदि लागू है तो

पैन ....

नाम ....

8. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए फाइल प्ररूप एओसी-4/एओसी-4एक्सबीआरएल और एमजीटी-7 का ब्यौरा

*एओसी-4/एओसी-4 एक्सबीआरएल का एसआरएन ....

*एमजीटी-7 का एसआरएन...................

संलग्नक	**संलग्नकों की सूची**
1. बाह्य भवन और आंतरिक कार्यालय दर्शाने वाले रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की फोटो और साथ ही इसमें एक निदेशक/केएमपी जिसने इस प्ररूप में डिजीटल हस्ताक्षर मुद्रित किए हैं, को भी स्पष्ट रूप से दर्शाएं।	संलग्न
2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि है	संलग्न

संलग्नक हटाएं

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ऊपर उल्लिखित पते पर स्थित है, कंपनी के साथ वर्तमान में जुड़े हुए निदेशकों, के.एम.पी., लेखापरीक्षकों का ब्यौरा सही है।

सत्यापन

मै, पुष्ट और सत्यापित करता हूं कि यहां ऊपर उल्लिखित प्ररूप में दी गई विशिष्टियां सही हैं और इस प्ररूप के साथ संलग्नक दस्तावेजों के अनुरूप भी हैं।

एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में एक निदेशक के द्वारा अंकीय हस्ताक्षर

एकल व्यक्ति कंपनी के अलावा अन्य मामले में एक निदेशक और एक केएमपी या दो निदेशकों के द्वारा अंकीय हस्ताक्षर

*पदनाम डीएससी बॉक्स

*डीआईएन

*पदनाम डीएससी बॉक्स

*निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक; या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; या सचिव की सदस्यता संख्या ....

<u>प्रमाणन</u>

मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन/सत्यापन के प्रयोजनार्थ सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है किः

*मुझे संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रति को पढ़ने के आधार पर कंपनी की पहचान और इसके पते के बारे में आत्मसंतुष्टि है।

*सभी संलग्न दस्तावेज इस आवेदन के साथ पूर्ण रूप से संलग्न किए गए हैं।

*मैंने इस प्ररूप और उससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन नियमों के उपबंधों को पढ़ लिया है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा रखे

गए मूल अभिलेखों से उपर्युक्त ब्यौरे (अनुलग्नक (कों) सहित) का सत्यापन कर लिया है जो इस प्ररूप की विषय-वस्तु है और उन्हें सत्य, सही और ठीक पाया है तथा इस प्ररूप से संबंधित किसी सूचना को छुपाया नहीं गया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ;

- *ई-मेल पता इस कंपनी का है।
- *सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के साथ संलग्न किए गए हैं, जो पूर्ण और स्पष्ट हैं।
- *मैंने भविष्य के संदर्भ हेतु इस प्ररूप और इसके संलग्नकों की एक प्रति रख ली है।
- *यह ज्ञात है कि मैं, यदि किसी स्तर पर कोई गलत प्रमाणन पाया जाता है तो, उसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई का उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा।

निम्नलिखित के द्वारा अंकीय हस्ताक्षर किये जाए   डीएससी बॉक्स

*श्रेणी ....

एसोसिएट है या फेलो   एसोसिएट   फेलो*

*सदस्यता संख्या ....

*प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र की संख्या ....

टिप्पण: धारा 7(5) और धारा 7(6) में दिए गए उपबंधों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी प्रकार की मिथ्या सूचना या त्रुटिपूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत करना या किसी तात्विक जानकारी को छिपाना धारा 447 के अधीन कपट के लिए दंड को आकर्षित करेगा। धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: मिथ्या कथन/प्रमाण-पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध किया गया है।

यह ई-प्ररूप निदेशक और वृत्तिक द्वारा दिए गए विवरण की शुद्धता के आधार पर और इलेक्ट्रॉनिक ढंग के माध्यम से कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल में रखा गया है"।

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, भाग-I, खंड-II]

के.वी.आर. मूर्ति
21/2/19

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्‌वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्‌वारा संशोधित किए गए:-

क्रम संख्यांक	**अधिसूचना संख्यांक**	**अधिसूचना की तारीख**
1.	सा.का.नि.349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि.442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि.99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि.336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि.743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि.936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि.1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि.70(अ)	25-01-2017
9.	सा.का.नि.955(अ)	27.07.2017
10.	सा.का.नि.49(अ)	20.01.2018
11.	सा.का.नि.284(अ)	23.03.2018
12.	सा.का.नि.708(अ)	27.07.2018
13.	सा.का.नि.1219(अ)	18.12.2018

****